



2026:AHC:173215

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र धारा 482 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत संख्या -

8406 सन् 2026

प्रमोद कुमार शुक्ला @ कुक्कू शुक्ला

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....विपक्षी पक्षकार(गण)

आवेदक के अधिवक्ता

: आकर्ष द्विवेदी, वर्चस्व द्विवेदी

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता (जी.ए.)

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 153 सन् 2026, थाना कोतवाली उरई, जनपद जालौन में बी.एन.एस. की धारा 109, 351(3) के अंतर्गत उसे अग्रिम जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि आवेदक को उपर्युक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को वर्तमान मामले में मिथ्या रूप से फंसाया गया है। उसका नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है। यहाँ तक कि घायल के कथन में भी आवेदक का नाम नहीं है। बाद में, आवेदक को मिथ्या रूप से फंसाया गया है। घायल के कथन के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि केवल सह-अभियुक्त अवधेश कुमार बुढ़ौलिया, जो प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है, को ही फायरिंग करने की भूमिका समनुदेशित की गई है। आवेदक का एक अन्य मामले का आपराधिक इतिहास है, जिसमें वह जमानत पर है। आवेदक पूर्व दोषसिद्ध व्यक्ति नहीं है।
4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया है तथा यह तर्क दिया है कि सह-अभियुक्त अवधेश कुमार बुढ़ौलिया ने इस न्यायालय के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



समक्ष अग्रिम जमानत हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जिसे इस न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र धारा 482 बी.एन.एस.एस. संख्या 4807 सन् 2026 में दिनांक 13.07.2026 के आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया है। आवेदक का मामला सह-अभियुक्त के मामले के समान आधार पर है तथा उसे अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने हेतु विचार नहीं किया जाना चाहिए।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर विचार किया है।

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से प्रतीत होता है कि सह-अभियुक्त अवधेश कुमार बुढ़ौलिया को 3 अन्य अज्ञात व्यक्तियों के साथ नामित किया गया है, जिनके बारे में कहा गया है कि उन सभी ने घायल पर फायरिंग की। केस डायरी के अवलोकन से प्रतीत होता है कि घायल को बंदूक की गोली से चोटें आई हैं। तथापि, बंदूक की गोली से लगी चोटों में कोई आंतरिक क्षति नहीं बताई गई है। घायल के कथन से यह प्रतीत होता है कि फायरिंग की मुख्य भूमिका सह-अभियुक्त अवधेश कुमार बुढ़ौलिया को समनुदेशित की गई है तथा घायल ने अपने कथन में आवेदक को नामित नहीं किया है। आवेदक का मामला सह-अभियुक्त अवधेश कुमार बुढ़ौलिया के मामले से भिन्न आधार पर है।

7. मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाना उचित समझता हूँ।

8. उपर्युक्त के दृष्टिगत, आवेदक का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

9. आवेदक-**प्रमोद कुमार शुक्ला उर्फ कुक्कू शुक्ला** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे उपर्युक्त मुकदमा अपराध में संबंधित थाने/न्यायालय के थानाध्यक्ष की संतुष्टि पर समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा प्रतिभूति प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर अविलंब मुक्त किया जाएगा:-

- i. आवेदक जब भी आवश्यक हो, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ हेतु स्वयं को उपलब्ध कराएगा;
- ii. आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोकने हेतु कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



iii. आवेदक न्यायालय की पूर्वानुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

iv. आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे धमकाएगा नहीं;

10. उपर्युक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने हेतु स्वतंत्र होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियाँ विशेष रूप से वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु हैं तथा इन्हें मामले के गुण-दोष पर राय नहीं समझा जाए।

(राजीव लोचन शुक्ला, न्यायमूर्ति)

17 अगस्त, 2026

सचिन